सारणी

प्रमुख वस्तुओं का निर्यातः अप्रैल-नवम्बर, 1998-99

(अमरीकी मिलियन डालर में)

वस्तु	अप्रैल-नवम्बर		प्रतिशत	
	1997-98	1998-99	वृद्धि	भार
1. बागान	562.96	640.03	13.69	2.98
2. कृषि एवं संबद्ध उत्पाद	2496.21	2447.14	—1.97	11.39
3. समुद्री उत्पाद	827.82	710.21	—14.21	3.31
4. अयस्क एवं खनिज	677.46	521.66	—23.00	2.43
5. चर्म एवं विनिर्माण	1022.46	1020.02	—0.24	4.75
6. स्वर्ण एवं आभूषण	3231.26	3722.74	15.21	17.33
7. खेलकूद सामान	54.06	46.86	—13.31	0.22
8. रसायन एवं संबद्ध उत्पाद	2924.01	2582.32	—11.69	12.02
9. इंजीनियरिंग सामान	2806.91	2349.43	—16.30	10.94
10. इलेक्ट्रानिक सामान (हार्डवेयर)	521.97	291.39	—44.17	1.36
11. परियोजना सामान	62.28	29.61	—52.46	0.14
12. वस्त्र	5556.74	5172.75	—6.91	24.09
13. हस्तशिल्प	378.81	445.64	17.64	2.08
14. दरियां	385.87	305.20	—20.90	1.42
15. अपशिष्ट सहित कॉटनयार्न	206.43	38.32	—81.44	0.18
16. पेट्रोलियम उत्पाद	285.67	86.61	—69.68	0.40
17. अवर्गीकृत निर्यात	263.43	1015.67	285.55	4.73

विश्व व्यापार संगठन में दर्ज किए गए वाद

643. **डा० महेश चन्द्र शर्माः** क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) विश्व व्यापार संगठन के न्यायाधिकरण में किन-किन देशों ने किन-किन देशों के खिलाफ शिकायतें की हैं या वाद दर्ज कराए हैं;

(ख) इन शिकायतों के विषयों तथा विश्व व्यापार संगठन के न्यायाधिकरण में वादों का ब्यौरा क्या है; और

(ग) इन शिकायतों या वादों का निपटारा किन-किन देशों के पक्ष में या किन-किन देशों के खिलाफ हुआ?

वाणिज्य मंत्री (श्री रामकृष्ण हेगड़े): (क) और (ख) डब्ल्यू० टी० ओ० सचिवालय प्रकाशन में यथानिर्दिष्ट 14.1.99 तक की स्थिति विवरण में दर्शायी गई है। **(नीचे देखिए)**

(ग) निपटाए गए लगभग सभी विवादों में वाद कर्त्ता देश जीते हैं और प्रतिवाद देश हारे हैं।

विवरण

विकसित सदस्य देशों द्वारा शिकायतें

(88 मामले/114 अनुरोध)

प्रतिवादी-विकसित

यूएस ऑटोमोबाइल्स (डीएम6) जापान, मदिरा पेय (डीएस8, डीएम10, डीएस11) जापान, टैलकम (डीएस 15) आस्ट्रेलिया सलमोन (डी एस 18, डी एस 21) ईसी हार्मोंस (डी एस 26, डीएस 48) जापान साउण्ड रिकार्डिंग (डी एस 28, डीएस 42 डी एस 18, डीएस 42 कनाडा प्रियाडकलम यूएस (डी एस 31) पूर्तगाल, पटेंट (टीएस 37) यूएस, क्यूबा (हेल्मस बर्टन) एक्ट (डी एस 38 यू एस, हार्मोंस रिटेलिएशन) (डी एस

39) जापान, फिल्म (डीएस 44) जापान, डिस्ट्रीक्यूशन (डीएस 45) आस्ट्रेलिया, लेदर (डी एस-57) ईसी, यूके। आयरलैण्ड, कम्प्यूटर्स (डीएस 62, डी एस 67, डीएस 68), यूएस, यूरिया (डी एस 63) जापान पार्क (डी एस 66) ईसी, बटर (डी एस 72) जापान खरीद (डीएस 73) जापान, कृषि उत्पाद (डी एस 76) बेल्जियम, टेलीफोन डयरेक्ट्री (डी एस 80), आयरलैण्ड कॉपीराइट (अधिकारों की मंजूरी) (डी एस 82) डेनमार्क बौद्धिक सम्पदा (प्रवर्त्तन) (डीएस 83) यूएस, वस्त्र (डी एस 85) स्वीडन, बौद्धिक सम्पदा (प्रवर्तन) (डी एस 86) यूएस, सरकारी खरीद (डी एस 88, डीएस 95) यूएसकुकुट (डीएस 100) कनाडा, इमदाद (दूध और चीज) (टीएस 103) ईसी। इमदाद (प्रसंस्कृत चीज) (डी एस 104) आस्ट्रेलिया, इमदाद (ऑटो लेदर) (डीएस 106) डीएस 126 (यूएस, विदेशी बिक्री निगम (कर व्यवहार) डीएस 108) कनाडा, डेरी निर्यात (डी एस 113) कनाडा, पेटेंट प्रोटेक्शन (भेषजीय) (डी एस 114) कनाडा, फिल्म वितरण (डी एस 117) यूएस, हार्बर टैक्स (डी एस 118), आस्ट्रेलिया, पाटन रोधी उपाय (पेपरशीट) (डी एस 119), ईसी, यूनान, बौद्धिक सम्पदा (डीएस 124) (डीएस 125), बेल्जियम, फ्रांस, यूनान, आयरलैण्ड, नीदरलैण्डस, इमदायर (आयकर) डी एस 127, डीएस 128, डीएस 129, डीएस 130, डीएस 131), रूलोवाक गणराज्य, डेरी उत्पाद (डीएस 133) ईसी एस्बेस्टोज (डी एस 135), यूएस, पाटन रोधी अधिनियम, 1916 (डी एस 136) ईसी बुड कोनिफर्स (डी एस 137), यूएस प्रतिकारी शुल्क (शीशा और इस्पात) (डी एस 138), कनाडा, ऑटो उद्योग (डी एस 139, डीएस 142), स्लोवाक गणराज्य, आयात शुल्क (गेहूं (डी एस 143) यूएस पशु एवं सूअर (डी एस 144), अर्जेंटिना, प्रतिकारी शुल्क (गेहूं स्लेटीन) (डीएस 145) जापान, टैरिफ कोटा (ले) (डी एस 147), चेक गणराज्य, आयात शुल्क (गेहूं) (डी एस 148), यूएस वस्त्र (डी एस 151) अमरीकी धाराएं 310-310 (डी एस 152) ईसी पेटेंट संरक्षण (भेषजीय) (डी एस 153)

प्रांतवादी-विकसित

कोरिया, कृषि उत्पादों का निरीक्षण (डी एस 3, डी एस 4) कोरिया, शेल्फ आयु (डी एस 5) कोरिया, बोतल में भरा पानी (डी एस 20) पाकिस्तान पेटेंट (डी एस 36) कोरिया, टेलकाम (डी एस 40) टर्की, फिल्म कर (डी एस 43) ब्राजील एयरक्राफ्ट (डी एस 46) इंडिया पेटेंट (डी एस 50) ब्राजील, ऑटोमोबाइल्स (डी एस 51, डी एस 52, डी एस 65, 81) मैक्सिको, सीमा शुल्क मूल्यांकन (डी एस 53) इंडोनेशिया ऑटोमोबाइल्स (डी एस 54, डीएस 55, डीएस 59, डी एस 64) अर्जेंटीना, वस्त्र (डी एस 56) फिलिपींस पोर्क एवं कुकुट (डी एस 74, डीएस 102) कोरिया, मदिरा पेय (डी एस 75, डी एस 84) अर्जेंटीना, वस्त्र (डी एस 77) इंडिया, पेटेंट (डी एस 79) चिल्ली, मदिरा पेय (डी एस 87) इंडिया, मात्रात्मक प्रतिबंध (डी एस 90, डी एस 91, डीएस 92, डीएस 94, डीएस 96) (कोरिया सुरक्षा उपाय (डेरी) (डी एस 98) मैक्सिको, पाटनरोधी (कोर्न सिरप) (डी एस 101) पाकिस्तान, खाल त्वचा एवं चर्म (डी एस 107) चील्ली, मदिरा पेय (डीएस 109, डीएस 110 केवल) ब्राजील, आयात भुगतान शर्तें (डी एस 116) इंडिया निर्यात वस्तुएं (डी एस 120), अर्जेंटिना, सुरक्षा उपाय (फूटवियर) (डी एस 121), थाइलैण्ड, पाटनरोधी शुल्क (धातु वस्तुएं) (डीएस 122), मैक्सिको, पाटनरोधी (कार्न सिरप) डीएस 132 (इंडिया, ऑटो) (डी एस 146) इंडिया आयात प्रतिबंध (डी एस 149), इंडिया, सीमा-शुल्क (डी एस 150) अर्जेंटीना गोजालीक खाल एवं चर्म डी एस 155), अर्जेंटीना, पाटनरोधी (ट्रिल बिट्स) (डी एस 157)

विकासशील देशों के सदस्यों द्वारा शिकायतें

(29 मामले/31 अनुरोध)

प्रतिवादी-विकसित

यू०एस० गैसोलीन (डी एस 2, डी एस 4) पौलैंड, आटोमोबाइल्स, (डीएस 19) यूएस, अंडर वियर (डी एस 24) यूएस, बूल कोट्स (डी एस 32), यूएस, बूल शर्ट्स (डी एस 33) यू एस टमाटर (डी एफ 49) यूएस, प्रिंस (डी एस 58, डीएस 61), ईसी, कुक्कट (डी एस 69) कनाडा, एयर क्राफ्ट (डी एस 70, डी एस 71) यूएस, ब्रूम्स (डी एस 78) (डी यू एस पाटनरोधी शुल्क (सीटीवीएस) (डी एफ 89) यूएस, प्रतिकारी उपाय (सालमन) डी एस 97 (यूएस, पाटनरोधी (मेमी कंडक्टरर्स) (डीएस 99) ई०सी० केले (डी एस 105) (डी एस 105) यूएस, टैरिफ रेट कोटा (मूंगफली) (डीएस 111), ईसी, आयात शुल्क (चावल) (डी एस 134), ईसी, पाटनरोधी जांच (सूती फैब्रिक्स) (डी एस 140), ईसी, पाटनरोधी शुल्क (बैडलिनन) (डी एस 141) ई०सी०, विशेष 6 विभेदी व्यवहार (काफी) (डी एस 154)

प्रतिवादी-विकासशील

मलेशिया, पोलीथीलीन, तथा पोलीप्रापीलीन, (डी एस 1) ब्राजील, नारियल (फिलीपीन्स) (डी एस 22), वेनेजुएला, ओसीटीजी (डी एस 23), तुर्की, वस्त्र (डी एस 29, डी एस 34, डी एस 47) ब्राजील, नारियल (श्री लंका) (डी एस 30) ग्वाटेमाला, सीमेंट (डी एस 60)

पेत्र, प्रतिकारी शुल्क जांच (बर्से) (डी एस 112) अर्जेनटीना, इमदाद (फुटवियर) (डी एस 123) ग्वटिमाला, सीमेंट (डी एस 156)

विकसित तथा विकासशील देशों के सदस्यों द्वारा शिकायतें (4 मामले/10 अनुरोध)

ई०सी०, स्कैल्लप्स, (डीएस 7, डीएस 12, डीएस ई०सी, ग्रेन्स (डीएस 9, डीएस 13, डी एस 17, डीएस 25), ई०सी०, केले (डीएस 16, डीएस 21) हंगरी, निर्यात इमदाद (डीएस 35)

अलग-अलग मामलों की कुल सं० 120

परामर्श अनुरोधों की कुल सं० 157

Trade Deficit Study

644. SHRI JAYANT KUMAR MALHOUTRA: Will the Minister of COMMERCE be pleased to state:

(a) whether Government have made a serious study of the huge trade deficit and its adverse effects on the economy;

(b) if so, the measures taken or proposed to be taken to augment the exports;

(c) whether any specific policies have been formulated to boost the exports of the small scale sector products; and

(d) if so, the details thereof?

THE MINISTER OF COMMERCE (SHRI RAMAKRISHNA HEGDE): (a) Yes, Sir.

(b) A number of measures have already been taken to augment exports. These include bringing down the rate of interest on export credit from 11% to 9%, strengthening the existing export incentive schemes, simplification of procedures and addressing sector specific issues. Policy review is a continuous process and is based on interaction with trade and industry associations.

(c) and (d) Through the changes introduced in the Export Import Policy during the current year, the Government has addressed the long standing demand of the small exporters such as simplifying and expanding the scope of zero duty. Export Promotion Capital Goods Scheme. The threshold limit has now been reduced from Rs. 20 crores/Rs. 5 crores to Rs. 1 crore. Further private bonded warehouse scheme has been initiated to facilitate supply of imported raw materials to exporters importing raw materials in small quantities. Double weightage on FOB or NFE on the exports of products manufactured by Units in the small scale sectors is given for the purpose of recognition of Export Houses/ Trading Houses etc. Eligibility for Special Import Licence has been reduced for small scale exporters holding IS/ISO 9000 (Series) of quality certification.

Export from Rajasthan

645. SHRI ONKAR SINGH LAKHAWAT: Will the Minister of COMMERCE be pleased to state:

(a) the total value of jewellery, ready made garments, handicrafts and other items exported from Rajasthan during the last financial year; and

(b) what measures are being taken by Government for export promotion, particularly in more backward state of Rajasthan?

THE MINISTER OF COMMERCE (SHRI RAMAKRISHNA HEGDE): (a) Ministry of Commerce maintains export data for the country as a whole and not State-wise.

(b) Central Government evolves plans and formulates its export policy to promote export of various items and products from all States/Union Territories of India including Rajasthan. Under the Critical Infrastructure Balance scheme following